न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2740–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–07–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण क्रमांक 446/अपील/2010–11

....

1– शंभुलाल पिता सूरजमलजी शर्मा,
निवासी नयागॉव तहसील जावद जिला नीमच
2– दिनेश पिता श्री बंशीलालजी शर्मा,
निवासी नयागॉव तहसील जावद जिला नीमच
3 कमलेश पिता श्री बंशीलालजी शर्मा
4– सीतादेवी पति श्री बंशीलालजी शर्मा
5– सागरमल पिता सूरजमलजी
6– महादेव पिता श्री लक्ष्मीलालजी शर्मा,
निवासी नयागॉव तहसील जावद जिला नीमच
7– गणेश पिता श्री लक्ष्मीलालजी शर्मा,
निवासी नयागॉव तहसील जावद जिला नीमच
8– प्रेमबाई पति लक्ष्मीलालजी शर्मा,
निवासी नयागॉव तहसील जावद जिला नीमच
9– कैलाश पिता सूरजमलजी
निवासी नयागॉव तहसील जावद जिला नीमच
10– उमरावबाई पिता श्री सूरजमलजी पति श्री प्रभुलालजी शर्मा
निवासी नयागॉव तहसील जावद जिला नीमच
11 कंचनबाई पिता श्री सूरजमलजी पति रमेशजी
निवासी नयागॉव तहसील जावद जिला नीमच

आवेदकगण

विरूद्ध

राजकुवरबाई पिता सूरजमलजी पति स्वर्गीय देवीलालजी शर्मा,
निवासी नयागॉव तहसील जावद जिला नीमच

....अनावेदक

श्री [illegible] अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.एन.उपाध्याय, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक / का पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू--राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-07-2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी राजकुंवर बाई विधवा देवीलाल शर्मा के द्वारा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी जावद के न्यायालय में एक अपील तहसीलदार न्यायालय जावद में हुये नामान्तरण आदेश दिनांक 18-6-1990 के विरूद्ध दिनांक 24-9-2009 को विलम्ब से प्रस्तुत की । विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कारण आवेदकगण द्वारा ग्राम नयागॉव में स्थित अनावेदक के पिता स्व.सूरजमल की कृषि भूमि में जो कि अनावेदिका की पैत्रक संपत्ति पर अवैधानिक तरीके से धारा 109, 110 की विधिक प्रकिया का पालन किये बगैर अधीनस्थ तहसील न्यायालय में आवेदकगण द्वारा नामान्तरण कराये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। नामान्तरण का आधार अनावेदक द्वारा यह बताया गया कि स्व0सूरजमल की पहली पत्नी दाणीबाई की पुत्री है । अतः उसे हिन्दूउत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में वर्ष 2005 में हुए संशोधन अनुसार स्व0 श्री सूरजमल के पुत्रों के समान पैत्रक संपत्ति में अधिकार एवं स्वत्व निहित है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस पर प्रकरण कमांक 1/अपील/09-10 दर्ज कर आदेश दिनांक 26-7-2010 से प्रस्तुत अपील अवधि बाधित मानकर निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने इस आदेश के विरूद्ध अपील अनावेदिका राजकुवरबाई द्वारा अपर आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त न्यायालय इस पर प्रकरण कमांक 495/अपील/09-10 दर्ज कर दोनों पक्षों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 30-3-11 से तहसील न्यायालय का पूर्व का नामान्तरण आदेश दिनांक 16-8-90 निरस्त किया जाकर अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि में मानकर गुण दोष पर निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-3-2011 के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दोनों पक्षो की सुनवाई [illegible] आदेश दिनांक 25-7-11 से अनावेदिका राजकुवरबाई द्वारा प्रस्तुत अपील इस प्रकार पर आंशिक रूप से स्वीकार की गई कि अनावेदिका राजकुवरबाई पति स्व.सूरजमल की पहली पत्नी

श्रीमती दाणा बाई की पुत्री है । अत तहसीलदार जावद को प्रश्नाधीन आदेश से स्व. सूरजमल की वादग्रस्त भूमियो मे अनावेदिका राजकुंवरबाइ समेत सभी हितबद्ध पक्षकारो को तलब कर नामान्तरण व बंटवारा नियमानुसार एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत गुणदोष के आधार पर प्रकरण में विधिवत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी जावद के इसी प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 25–7–11 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो अपर आयुक्त के यहाँ प्रकरण कमांक 446/अपील/2010–11 मे पारित आदेश दिनांक 24–7–2012 से अपील निरस्त की गई अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–7–2012 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह बताया कि अनावेदिका स्व. सूरजमल की पुत्री हैं यह कही भी सिद्ध नहीं है । अनावेदिका स्व.सूरजमल की पुत्री नहीं है । पंचायत के अभिलेख मे या मतदाता सूची में कही भी यह दर्ज नहीं है कि अनावेदक स्वर्गीय सूरजमल की पुत्री है । कवल ग्राम पंचायत नयागाँव ने छगनलाल पिता बजेराम व धापूबाई पति प्यारचंद जी के शपथपत्र के आधार पर अनावेदिका को सूरजमल की पुत्री मान लिया शपथपत्र के आधार पर बिना अभिलेख के ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया वह अवैधानिक है और इस अवैधानिक प्रमाणपत्र के आधार पर अनावेदिका को सूरजमल का वारिस मानने में अधीनस्थ न्यायलय ने वैधानिक त्रुटि की है । अनावेदिका को अपील अवधि बाहर होकर लगभग 10 वर्ष पश्चात् उसने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की व अपील प्रस्तुत करने की कोई अनुमति प्राप्त नहीं की । तर्क में यह भी बताया कि प्रकरण में टाइटल का विवाद है और जहो टाईटल का विवाद हो वहाँ राजस्व अधिकारी को प्रकरण का निराकरण करने का अधिकार नहीं है यह अधिकार दीवानी न्यायालय को है। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी बताया कि आवेदक कमांक 9 कैलाश पिता सूरजमल ने अनावेदिका के विरूद्ध प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 जावद जिला नीमच के यहाँ पर एक विवाद वाद प्रस्तुत किया जिसमे दिनाक 9–2–12 को निर्णय व डिक्री प्रदान की है । वादी की वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी कब्जा नही करे व कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय का निर्णय नहीं मानने

में वैधानिक त्रुटि की है । इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अनावेदिका स्व0सूरजमल की पहली पत्नी की पुत्री थी या नहीं थी यह स्पष्ट प्रमाणित होगा और उत्तराधिकारी का निराकरण करने का अधिकार सिविल न्यायालय का है राजस्व न्यायालय को नहीं । अधीनस्थ न्यायालय में कई शपथपत्र गॉव के लोगों के द्वारा प्रस्तुत किये गये जिसमें अनावेदिका राजकुवंरबाई सूरजमल की पुत्री नहीं है । उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसको पुत्री मानने में वैधानिक त्रुटी की है । अनावेदिका सूरजमल की प्रथम पत्नी की संतान नही है उसे सूरजमल की संपत्ति में कोई हक व स्वत्व प्राप्त नही होता इस कारण प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान भी लागू नहीं होते हैं क्योंकि अनावेदिका कभी स्वर्गीय सूरजमल की पुत्री ही नहीं रही । इस बिन्दु पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह अवैधानिक है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालय के आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ अनावेदकगण की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये जिसमें बताया कि सूरजमलजी के नाम ग्राम नया गॉव में कृषि भूमि स्थित होकर उनके द्वारा आपस में बंटवारा पंजीकृत करवाया गया इनकी दो पत्नियॉ रही है प्रथम पत्नि दाणीबाई उर्फ बालीबाई की पुत्री राजकुवंरबाई है एवं पुत्र बसंत कुमार है दाखीबाई की मृत्यु होने पर सूरजमल द्वारा शाणीबाई से नातरा/दूसरा विवाह किया उनके पुत्र निगरानी के आवेदकगण है । पंजीकृत बंटवार के आधार पर तहसीलदार जावद द्वारा ग्राम नयागॉव की नामान्तरण पंजी कमांक 46 में पारित आदेश दिनांक 16–8–1990 से आवेदकगणों का नामान्तरण स्वीकार किया गया इसकी जानकारी मिलने पर राजकुवंर बाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जावद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो मियाद बाहर मानकर आदेश दिनाक 16–8–2010 से निरस्त की गई अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध राजकुवंरबाई द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त न्यायालय उज्जैन को प्रस्तुत की गई जो अपील कमांक 495/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 30–3–2011 द्वारा स्वीकार कर प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी को समयावधि में प्रकरण की सुनवाई कर निराकरण करने के निर्देश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनः विचार कर अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का नामान्तरण आदेश निरस्त कर निर्देश दिये गये कि

उभयपक्ष की सुनवाई कर नामान्तरण नियमों के अनुसार विचार कर नामान्तरण आदेश ... करने । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की अपील पुनः अपर आयुक्त न्यायालय उज्जैन ... उज्जैन को प्रस्तुत की गई जो निरस्त होने पर इस आदेश के विरूद्ध विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई । उपरोक्त स्थिति के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण उनके नामान्तरण आदेश को लागू रखने के लिये विधि निर्धारित प्रक्रिया का उपयोग कर रहे है । लिखित तर्क मे यह भी बताया गया कि हिन्दू लॉ की धारा 8 अनुसार पुरूष के वारिस वर्ग–1 के होते हैं और वर्ग–1 मे पुत्र व पुत्री आते है । राजकुवरबाई सूरजमलजी की पुत्री होने के कारण उनकी भूमि पर उसके भी स्वत्व होना स्वयं प्रमाणित है । इस संबंध राजस्व मण्डल के न्यायदृष्टांत का भी हवाला दिया गया । उपरोक्तानुसार वर्णित विधि विधान एवं तथ्य के आधार पर प्रथम एव द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 16–8–90 अपास्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि उभयपक्ष की सुनवायी कर आदेश पारित करें ताकि पक्षकारों को न्याय मिल सके । अतः ने निवेदन किया कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन निगरानी आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य मे अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। यह प्रकरण नामांतरण का है । अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यो का उल्लेख करते हुए तथा प्रकरण में आई साक्ष्य का विवेचन किया गया है । उन्होंने यह पाया है कि आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है कि अनावेदिका सूरजमल की पुत्री नही है । उन्होंने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि अनावेदक राजकुंवरबाई के पक्ष मे ... व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों ने उसे सूरजमल की पुत्री होने के संबंध में शपथपत्र प्रस्तुत किये हैं, जिन्हे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता । अपर आयुक्त ने यह भी पाया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित नामातरण आदेश में अनावेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं । व्यवहार न्यायालय के निर्णय के संबंध मे अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष भी उचित है कि यह प्रकरण स्वामित्व एव आधिपत्य का नहीं हैं बल्कि अनावेदक के उसके पिता की संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 मे वर्ष 2005 में हुए

संशोधन अनुसार पुत्रियों को भी पुत्रों के समान पैत्रिक संपत्ति में अधिकार एवं स्वत्व निहित [illegible] का प्रश्न है । व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक राजकुवर का अपने निर्णय में पिता सूरजमल की संपत्ति पर स्वत्व न होने एवं पुत्री नही होने संबंधी आदेश पारित नहीं किया गया है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30–3–11 के परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्षों को सुने जाने के उपरांत आदेश पारित किया गया है । उक्त आधारों पर अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश की पुष्टि की गई है । प्रकरण का निराकरण विचारण न्यायालय में अभी होना है पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह औचित्यपूर्ण न्यायिक [illegible] विधिसम्मत है और हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

6/ परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर